न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 122/21 **निर्णय दिनांकः– 22-02-2024**
(जीसीएमएस संख्या 2021/237)

1. मुमताजखॉं पुत्र फकीरे खॉं जाति मुसलमान निवासी मोतीगढ़ हाल चक 9 केएलडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर। (फौत)
   1/1. अनु पत्नी
   1/2. भीनु पुत्री
   1/3. मजीखॉं पुत्र
   1/4. मजीदा पुत्री

समस्त निवासी चक 9 केएलडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर। जरिये मुख्त्यारआम नजरूद्दीन पुत्र गनीखॉं जाति मुसलमान।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 27–03–2000
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत , अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 27–03–2000 जिसके द्वारा अपीलांट्स के पति/पिता को पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पति/पिता को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील खाजुवाला के चक 8 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 83/15 तादादी 25 बीघा भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया तथा आवंटन की पुष्टि के उपरान्त आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। जिसका कब्जा नहीं मिला क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटित होने तथा उनके नाम से खातेदारी दर्ज हो चुकी है। इस कारण अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला ना ही रिकार्ड में अंकन हो सका। अपीलांट्स के पति/पिता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के पति/पिता को विनिमय में अन्य भूमि चक 8 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 83/22 का आवंटन किया गया। परन्तु उक्त भूमि भी पूर्व से ही अन्य को आवंटित थी। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट्स एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट्स आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट्स के पति/पिता को दोनों बार आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट्स अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट् के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा न तो पूर्ववर्ती आवंटन निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट्स की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट्स को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बारम्बार उपस्थित होकर वादगत् भूमि पर कब्जा दिये जाने का कथन किया जाता रहा है। अपीलांट को आज दिनांक तक वादगत् भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन को खारिज किये बिना ही वादगत् भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27—03—2000 के विरूद्व अपील दिनांक 23—09—2021 को प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन किया गया था। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य व्यक्ति को आवंटनशुदा भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 27—03—2000 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 23—09—2021 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट्स के पति/पिता द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से तहसील खाजुवाला के चक 8 केजेडी के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मुरब्बा नम्बर 83/15 मे 25 बीघा भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया तथा आवंटन की पुष्टि के उपरान्त आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। जिसका अपीलांट्स के पति/पिता को कब्जा नहीं मिला क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में ही अन्य व्यक्ति को आवंटितशुदा भूमि थी। कालान्तर में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के पति/पिता को उक्त भूमि की एवज में अन्य भूमि चक 8 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 83/22 की 25 बीघा भूमि का आवंटन विनिमय में किया गया। परन्तु उक्त भूमि भी पूर्व से ही अन्य व्यक्ति को आवंटित भूमि थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के पति/पिता को दो बार भूमि आवंटित की गई, परन्तु दोनों बार ऐसी भूमि का आवंटन किया गया जोकि पूर्व से ही अन्य व्यक्ति को आवंटित भूमि थी।

राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

(2) जहॉ तक अपीलांट को आराजी जैर के आवंटन का संबंध है, अपीलांट को आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति व अध्यक्ष आवंटन समिति की राय से बाद जॉच ही आवंटन किया गया था। अदालत मातहत द्वारा आवंटन से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया ना ही जॉच नहीं की गई, कि आवंटन दिनांक को उक्त आराजी जैर शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं? अदालत माताहत का उक्त कृत्य धोर लापरवाही का द्योतक है। अदालत मातहत द्वारा की गई चूक अथवा लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिल सकता।

(3) अपीलांट को पूर्व में अन्य आवंटियों को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। प्रकरण में आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आवंटी को नहीं दिया जा सकता। अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी कि क्या आराजी जैर आवंटन दिनांक को अपीलांट की पात्रता अनुसार शुद्व रूप से भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच किये बिना अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। जो स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त आवंटन है।

(4) यहॉ यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष आवंटन पश्चात् रिकार्ड में अमलदरामद हेतु बार–बार

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सम्पर्क किया जाता रहा है। अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलांट की पत्रावली पर कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की गई है। अपीलांट अन्तहीन समय तक अपने आवंटन के अमल दरामद हेतु इंतजार नहीं कर सकता। अदालत मातहत द्वारा ना तो अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया ना ही अपीलांट के आवंटन का अमल दरामद किया गया। अततः अपीलांट को न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता।

(5) अदालत मातहत को तत्समय ही अपीलांट के आवंटन की पुष्टि करते हुए अपीलांट को आराजी जैर का कब्जा सुपुर्द करते हुए रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना अपीलांट को अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। अदालत मातहत की इस प्रकार की कार्यवाही किसी प्रकार से युक्तियुक्त/न्यायसंगत कार्यवाही नहीं कही जा सकती। अदालत मातहत व उसके अधीन कार्यरत कर्मचारी/पटवारी की उदासिनता या लापरवाही का दण्ड अपीलांट्स को नहीं दिया जा सकता। अपीलांट्स की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स के पति/पिता को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है, जो पूर्व में ही अन्य को आवंटित होने के कारण अपीलांट्स भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित् भूमि अन्यत्र प्राप्त करने के अधिकारी है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 27—03—2000 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट् को नियमानुसार उसकी पात्रता के अनुसार भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22.2.24 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर